# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

## अपील संख्या : 15/453

1. शंकर
2. श्रवण पिसरान श्री माधो जी जाति कीर निवासीगण ग्राम दोडून्दा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

**बनाम**

1. रामदेव आत्मज हीरालाल जाति कीर निवासी मोरी का झौंपडा ग्राम डाटून्दा तहसील हिण्डोली ।
2. बाबूलाल
3. कालूलाल
4. छोटा
5. महावीर
6. लाला
7. बरधीलाल पिसरान भूरा जी जाति कीर निवासीगण मोरी का झौंपडा ग्राम डाटून्दा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
8. मनभर पुत्र देवा जाति कीर निवासी मौरी का झौंपडा ग्राम डाटून्दा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
9. मोती आत्मज माधोजी जाति कीर निवासी ग्राम दोडून्दा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री प्रेमशंकर गुर्जर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

**निर्णय** दिनांकः 30.01.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2015 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 व 53 के तहत स्थायी निषेधाज्ञा व बंटवारा भूमि का ग्राम हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी की आराजी खसरा नम्बर 90 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 91 रकबा 02 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 92 रकबा

04 बिस्वा, खसरा नम्बर 93 रकबा 02 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 94 रकबा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 95 रकबा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 96 रकबा 13 बिस्वा कुल 07 किता की रकबा 08 बीघा 02 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी में वादी का 1/3 हिस्सा निहित है । प्रतिवादी कम 1 से 6 भूरा के वारिसान हैं भूरा की मृत्यु पूर्व में ही हो चुकी है व जमाबन्दी में अंकित गंगाबाई की भी मृत्यु पूर्व में हो चुकी है । वर्तमान समय में वादी के पास व प्रतिवादी कम 1 से 7 के पास व प्रतिवादीगण कम 8, 9 एवं 10 के पास बराबर–बराबर 1/3 – 1/3 हिस्सा निहित है । उक्त भूमि का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन करवाए ।

3. अतः वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादग्रस्त आराजी में वादी के 1/3 हिस्से पर अतिक्रमण नहीं करे उसकी फसलों को नष्ट नहीं करे तथा आने–जाने के रास्त में व्यवधान पैदा नहीं करे चाह से सिंचाई करने से न रोके, ऐसा न तो स्वयं करे और नही अपने किसी प्रतिनिधि से करावे । दौराने वाद प्रतिवादीगण वादी के हिस्से की भूमि पर कब्जा कर ले तो उससे उन्हें बेदखल किया जावे तथा बंटवारे में प्राप्त भूमि पर वादी को पृथक से कब्जा दिलाया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 15.07.2015 के द्वारा वादीगण का वाद स्वीकार करते हुए आंशिक रूप से डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2015 से व्यथित होकर प्रतिवादी कम 8 व 10 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में प्रतिवादीगण अपीलान्ट द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर दिया था तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम कर दी गई थी तथा पत्रावली वास्ते शहादत वादी नियत थी जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में रखते हुए सीपीसी की पालना किये बिना ही उक्त निर्णय एंव डिक्री पारित कर दी जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2015 निरस्त फरमाई जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 का दावा आंशिक रूप से डिक्री कर प्रारम्भिक डिक्री जारी करने में त्रुटि की है । प्रकरण में प्रतिवादी अपीलान्ट के द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर दिया था, तनकीयात कायम कर दी गई थी । पत्रावली वास्ते शहादत वादी लम्बित थी । सीपीसी की पालना किये बिना ही लोक अदालत में निर्णय पारित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट कम 1 रामदेव और रेस्पोडेन्ट कम 2 मनभर ने अपीलान्ट को विक्रय की है और कब्जा संभलाया है, उनका वादग्रस्त आराजी में हित – निहित नहीं है । वादग्रस्त आराजी में उनके हित समाप्त हो चुके हैं। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 15.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो विधि सम्मत है । लोक अदालत में पारित निर्णय की अपील नहीं की जा सकती । राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2015 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 15.07.2015 के खिलाफ पेश की गई है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह निर्णय व डिक्री लोक अदालत में पारित की गई है । लोक अदालत में रामदेव, भूरा, मनभर, कालू, छोट्या और बिरधी लाल उपस्थित हुए हैं परन्तु बाबूलाल, महावीर, लाला, शंकर, मोती व श्रवण उपस्थित नहीं हुए हैं । इस प्रकार लोक अदालत में न तो समस्त पक्षकारान उपस्थित हुए हैं और न ही पक्षकारान द्वारा कोई विधिक राजीनामा पेश किया गया है और उसी दिन दावा डिक्री किया गया है । पत्रावली साक्ष्य वादी में लम्बित थी, पक्षकारान की साक्ष्य भी रिकॉर्ड नहीं की गई है । दिनांक 26.06.2014 को तनकीयात कायम की गई थी और सीपीस की पालना किये बिना ही लोक अदालत में निर्णय पारित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करना होता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । पत्रावली पर दिनांक 11.02.2017 की आदेशिका के अनुसार वकील वादी ने वादकारण समाप्त बताते हुए कार्यवाही नहीं चाहते हैं, अंकित किया है जिसके आधार पर दावा खारिज किया गया है परन्तु उससे पूर्व अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया था व बंटवारे के दावे में प्रतिवादी भी वादी की हैसियत रखता है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह दावे एवं जवाबदावे के आधार पर कायम प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए नये सिरे से पत्रावली प्राप्ति के 06 माह के अन्दर विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 13.03.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

11. निर्णय आज दिनांक 30.01.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

30/1/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा